जेआर0 न्यु

ORDER - SHEET

28/07/20

आरक्षी केन्द्र बेटमा जिला इन्दौर के आरक्षक राजेश जमरा ने उनके थाने के अप0क0 342/2020 में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त कमल पिता शंकर नांदी जाति लाहोर उम्र 26 वर्ष नि0 पालीया रोड हातोद जिला इंदौर को धारा 34(2) म0प्र0 आबकारी अधि0 के अंतर्गत दिनांक 28.07.2020 को 11:35 बजे गिरफ्तार करना बताते हुए केस डायरी मय चेकलिस्ट के प्रस्तुत कर अभियुक्तगण की दिनांक 11.08.2020 तक की न्यायिक अभिरक्षा चाही है।

अभियुक्त ने अपने गिरफ्तारी की सूचना अपने परिजन को होना स्वीकृत किया। अभियुक्त के शरीर पर कोई जाहिरा चोंट नहीं है। साथ ही धारा 54 दप्रसं0 के अंतर्गत सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सीय प्रतिवेदन संलग्न है।

अभियुक्त की ओर से अधि0 श्री अ0गफ्फार खान ने उप0 होकर अपना उपस्थित ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया।

केस डायरी के साथ संलग्न चेकलिस्ट व प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा कथित अपराधों में जो 07 वर्ष तक या उससे कम अवधि के कारावास से दण्डनीय है, अभियुक्त की गिरफ्तारी बाबत धारा 41(1)(ख) दप्रसं0 के अनुसार अपने कारण अभिलिखित करते हुए इस आशय की चेकलिस्ट तैयार कर संलग्न की गई है। प्रथमदृष्टया अभियुक्त की गिरफ्तार के संबंध में बताया गया कारण समुचित एवं समाधानप्रद प्रतीत होता है। केस डायरी में अभियुक्त के विरूद्ध आए तथ्य व चेकलिस्ट में वर्णित तथ्यों से अभियुक्त को निरोध में रखने हेतु उचित आधार प्रकट होते हैं। अतः आगामी दिनांक 11.08.2020 तक अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा प्राधिकृत की जाती है।

इसी प्रक्रम पर अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री अ0गफ्फार खान द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 437 दप्रसं0 का पेश कर आरोपीगण को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन पत्र पर सुना गया।

केस डायरी के परिशीलन से यह दृष्टिगत होता है कि आरोपी के आधिपत्य से 50 बल्क लीटरसे अधिक मात्रा में अवैध शराब जप्त की गई है। इस स्थिति में जबकि अन्वेषण प्रगति पर है, गुण दोष पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन प्रकरण के तथ्य, परिस्थिति तथा अपराध के स्वरूप को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त को विधिवत जेल वारण्ट तैयार कर अस्थाई जेल, शासकीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास, ग्राम असरावद खुर्द जिला, इंदौर भेजा जावे।

केस डायरी वापस की जावे।

पत्रावली विधिवत संबंधित न्यायालय की ओर प्रेषित की जावे।

प्रकरण दिनांक 11.08.2020 को प्रस्तुत हो।

केस डायरी मय वारंट व मुलाहिजा प्राप्त

28/07/2020

[stamp] देपालपुर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

आरोपी पुलिस अभिरक्षा मे है।

Filing No- BA/483/2020
CNR- MP09070005092020
Case No- BA/20/2020

//7//

अप./फौजदारी प्रकरण क्रमांक : /20
पेशी दिनांक : / /20

माननीय श्रीमान विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी, देपालपुर (म.प्र.)

म.प्र. शासन द्वारा पुलिस
.... बेटमा --- अभियोगी

विरूद्ध

....
कुमल पिता शंकर
....
.... --- आरोपी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा – 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता

अपराध धारा भा.द.वि.

माननीय महोदय,

सदर प्रकरण में आरोपी ...कमल... की ओर से विनम्र निवेदन है कि :–

1– यह कि, सदर प्रकरण में पुलिस ...बेटमा... द्वारा आरोपी के विरूद्ध असत्य आधारों पर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

2– यह कि, आरोपी का पूर्व में किसी भी पुलिस थाने में कोई आपराधिक रिकार्ड नही है तथा यदि आरोपी को जेल भेजा गया तो इससे उसकी मनःस्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

3– यह कि, आरोपी ...बेटमा... का मूल निवासी होकर सदर प्रकरण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जहाँ भी आरोपी को हाजिर होने के लिए आदेशित किया जायेगा, वह तत्पर हाजिर रहेगा।

4– यह कि, आरोपी माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित समस्त आदेशों व निर्देशों का पालन करने को तत्पर है।

6– यह कि, आरोपी श्रीमान द्वारा आदेशित उचित प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है।